



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)



प.4(65)क्ति1(1)आय.व्य / 2019

जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 2021

स्वीकृति संख्या :- 76 / 2020-21

कोषाधिकारी,
कोष कार्यालय, उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।


महोदय,

संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के पत्र क्रमंक एफ 6/लेखा/सीटीएडी/प्रस्ताव-275(1)/कुसुम योजना/2020-21 दिनांक 24.03.2021 (स्वीकृति संख्या 73/2020-21) में अंकित कार्य एवं शर्तों के अनुरूप व्यय हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रुपये 800.00 लाख (अक्षरे रुपये आठ करोड मात्र) की राशि निम्नानुसार बजट शीर्ष को प्रभारित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे :-

बजट शीर्ष (केन्द्रीय सहायता) मांग संख्या - 30	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्वीकृति संख्या	निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण योग्य राशि लाख रूपयों में	कार्यकारी संस्था, जिसके निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरित की जानी है
2225-02-796-(23)-[01]-12	73/2020-21	800.00	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

इस राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमो/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।


भवदीय,


(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेख एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)